रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 मार्च, 1991/9 चैत्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 20 दिसम्बर, 1990

संख्या गृह (ए)ए(9)-48/90.—भारत सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए की गई घोषणा के पश्चात् प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर हिंसात्मक आन्दोलन हुए,

और राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए और किसी भी अप्रिय घटना/स्थिति से निपटने के लिए, संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किए थे,

और चम्बा नगर में तैनात पुलिस बल को 28 सितम्बर, 1990 को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हस्तक्षेप करना पड़ा था,

और जनता ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने 28 सितम्बर, 1990 को बिना किसी उत्तेजना के आन्दोलनकारियों पर ज्यादितियां की और बल प्रयोग किया और गोली चलाई,

और चम्बा नगर की जनता की ओर से यह सतत् मांग की गई है कि उक्त मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि सार्वजनिक हित के कतिपय निश्चित मामलों और 28 सितम्बर 1990 को आन्दोलनकारियों पर हुई कथित ज्यादितियों की जांच के लिये जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरि दत्त कैन्थला को उपर्युक्त घटनाओं से सम्बन्धित, निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर, इस निमित्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिये जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:—

1. 28 सितम्बर 1990 को चम्बा नगर पालिका की सीमा में आन्दोलन के कारण क्या परिस्थितियां विद्यमान थीं ?
2. आन्दोलन का स्वरूप क्या था और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी तथा कितने लोग हताहत हुए थे ? क्या पुलिस बल ने ज्यादितियां की थीं ? यदि हां तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?
3. सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ?
4. कोई अन्य मामला, जो आयोग की राय में, उपर्युक्त घटना के तथ्यों को सुनिश्चित करने में सुसंगत हो ?

अतः हिमाचल प्रदेश राज्यपाल की आगे यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2),(4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वे यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

जांच आयोग का मुख्यालय धर्मशाला में होगा ।

[*Authorised English Text of this Department Notification No. HOME (A) A(9)-48/90, Dated 20th December, 1990 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.*]

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 20th December, 1991

No. HOME(A)A(9)-48/90.—Whereas there had been violent agitation in different parts of the State after the announcement of the implementation of Mandal Commission Report by the Government of India in the month of August, 1990 ;

And whereas the State Government had deployed security forces to maintain the law and order situation at sensitive places/points to prevent the occurrence of any untoward incident;

And whereas the police force deployed in Chamba Town had to intervene to maintain law and order on 28th September, 1990 ;

And whereas there are general allegations from the public that the police had committed excesses on the agitators without any provocation and used force and opened firing on 28th September, 1990 ;

And whereas there had been persistent demand from the public of Chamba Town that a Judicial Inquiry be got conducted to probe into it ;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Enquiry to enquire into certain specific matters of public importance and alleged excesses on agitators on 28th September, 1990 ;

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 3 of Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Shri Hari Datt Kainthla, Retired District & Sessions Judge, Himachal Pradesh, as Commission of Inquiry to enquire into and report on the following matters in relation to aforesaid incidents and to submit its report to the State Government within 6 months from the date of issue of this Notification:—

(1) What were the circumstances prevailing within the Municipal limits of Chamba on 28th September, 1990 on account of agitations ?

(2) What was the nature of the agitation and under what circumstances the police had to resort to use of firing and what was the number of casualities? Whether the Police force had committed any excesses? If so then who was responsible for that?

(3) What was the extent of damage caused to public and private property?

(4) Any other matter which in the opinion of the Commission is relevant for the ascertainment of facts relating to the aforesaid incidents.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is, of the opinion that having regard to the nature of the enquiry to be conducted and other circumstances of the case, the provisions of sub-section (2), (4) and 5 of Section 5 of the Commission of Inquiries Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 5 of the aforesaid Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-section (2). (4) and (5) of Section 5 of the said Act shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at Dharamsala.

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1990

संख्या : गृह (ए)ए(9)-49/90.—भारत सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए की गई घोषणा के पश्चात् प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर हिंसात्मक आन्दोलन हुए,

और राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी भी अप्रिय घटना/स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किए थे,

और मण्डी नगर में तैनात पुलिस बल को, 27 सितम्बर, 1990 को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हस्तक्षेप करना पड़ा था,

और जनता ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने 27 सितम्बर, 1990 को बिना किसी उत्तेजना के आन्दोलनकारियों पर ज्यादितियां की और बल प्रयोग किया और गोली चलाई,

और मण्डी नगर की जनता की ओर से यह सतत् मांग की गई है कि उक्त मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि सार्वजनिक हित के कतिपय निश्चित मामलों और 27 सितम्बर, 1990 को आन्दोलनकारियों पर हुई कथित ज्यादितियों की जांच के लिए, जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के अवकाश प्राप्त जिला व सत्र न्यायाधीश श्री हरि दत्त कैन्थला को, उपर्युक्त घटनाओं से सम्बन्धित, निम्नलिखित विषयों पर जांच करन और इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर, इस निमित्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग क रूप में नियुक्त करते हैं:—

(1) 27 सितम्बर, 1990 को मण्डी नगरपालिका की सीमा में, आन्दोलन के कारण क्या परिस्थितियां विद्यमान थी ?

(2) आन्दोलन का स्वरूप क्या था और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी तथा कितने लोग हताहत हुए थे ? क्या पुलिस बल ने ज्यादितियां की थीं ? यदि हां तो इसक लिए कौन उत्तरदायी है ?

(3) सरकारी और गैर-सरकारी सम्पति का कितना नुकसान हुआ ?

(4) कोई अन्य मामला, जो आयोग की राय में, उपर्युक्त घटना के तथ्यों को सुनिश्चित करने में सुसंगत हो ?

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, की आगे यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वे यह निदेश देते हैं कि धारा-5 की उप-धारा (2), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

जांच आयोग का मुख्यालय धर्मशाला में होगा ।

आदेश द्वारा,
एम० एस० मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

[Authorised English Text of this Department notification No. HOME (A) A (9)-49/90 dated 20th December, 1990 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 20th December, 1990

No. HOME (A)A(9)-49/90.—Whereas there had been violent agitation in different parts of the State after the announcement of the implementation of Mandal Commission Report by the Government of India in the month of August, 1990;

And whereas the State Government had deployed security forces to maintain law and order situation at sensitive places/points to prevent the occurrence of any untoward incident;

And whereas the police force deployed in Mandi town had to intervene to maintain law and order on 27th September, 1990;

And, whereas there is general public allegation that the police had committed excesses on the agitators without any provocation and used force and opened firing on 27th September, 1990;

And whereas there had been demand from the public of Mandi town that a judicial inquiry be got conducted to probe into it;

And, whereas the Governor of Himachal Pradesh, is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into certain specific matters of public importance and alleged excesses on agitators on 27th September, 1990;

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 3 of Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Shri Hari Datt Kainthla, Retired District and Sessions Judge, Himachal Pradesh, as Commission of Inquiry to enquire into and report on the following matters in relation to aforesaid incidents and to submit its report to the State Government within 6 months from the date of issue of this Notification :—

(1) What were the circumstances prevailing within the Municipal limits of Mandi on 27th September, 1990 on account of agitation?

(2) What was the nature of the agitation and under what circumstances the police had to resort to use of force and firing and what was the number of casualities? Whether the police force had committed any excesses, if so who are responsible for that ?

(3) What was the extent of damage caused to public and private property?

(4) Any other matter which in the opinion of the Commission is relevant for the ascertainment of facts relating to the aforesaid incidents.

Further, the Governor, Himachal Pradesh, is of the opinion that, having regard to the nature of the enquiry to be conducted and other circumstances of the case, the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of Section 5 of the Commission of Enquiries Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 5 of aforesaid Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-section (2), (4) and (5) of Section 5 of the said Act shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at Dharamshala.

By order,
M. S. MUKHERJEE,
Chief Secretary.

शिमला-2, 13 फरवरी, 1991

संख्या गृह (क)-क(1)-1/89.—केन्द्रीय सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन, केन्द्र सरकार के प्रयोजन हेतु, भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का आ.-782 (अ) तारीख

25 अक्तूबर, 1985 द्वारा भूमि अर्जन सम्बन्धी मामले हिमाचल प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दिये हैं, और निम्न-लिखित विनिर्देशन में यथा-वर्णित भूमि, भारत सरकार के ए. आर. सी. यूनिट मन्त्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित नहीं है :—

जिला	तहसील	गांव	मकान संख्या खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टयर में
1	2	3	4	5
चम्बा	भटियात	मोती टिब्बा	हदबस्त संख्या	
			346/3	
			1227	0-03-57
			1228/2	0-01-61
			1234/2	0-00-08
				00-05-26

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे विनिर्देशन में दी गई भूमि, जिसे भारत सरकार के ए. आर. सी. यूनिट मन्त्रि-मण्डल सचिवालय के लिये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4, 17(4), 6, 7 और 17(1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28 सितम्बर, 1989 और 24 फरवरी, 1990 द्वारा गांव मोती टिब्बा, तहसील भटियात, मौजा डल्होजी जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में अर्जित किया जा रहा था, के बारे में चलाई गई भू-अर्जन कार्यवाईयों को वापिस लेते हैं ।

विनिर्देशन

जिला	तहसील	गांव	मकान नं0/ खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टयर में
चम्बा	भटियात	मोती टिब्बा	हदबस्तनम्बर 346/3	
			1227	0-03-57
			1228/2	0-01-61
			1234/2	0-00-08
				0-05-26

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त (गृह) ।

[*Authoritative English Text of this Government notification No. Home (A)-A (1)-1/89 Dated 13-2-91 as required under Clause (8) of Articles 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 13th February, 1991

No. Home (A)-A(1)-1/89.— Whereas the matters relating to the acquisition of land under land Acquisition Act, 1894 (1of 1894) for the purpose of the Central Govenment have been entrusted

to the State Government of Himachal Pradesh by the Central Government *vide* Notification. On Ka. As 782(A), dated 25-10-1985, issued by the Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development under Clause (1) of Article 258 of the Constitution of India;

And whereas the land as described in the specifications given below is no more required for public purpose by the Cabinet Secretariat, A.R.C. Unit Government of India:—

District	Tehsil	Village/H.No.	Khasra No.	Area in Hectares
1	2	3	4	5
Chamba	Bhatiyat	Moti-Tibba H.B. No. 346/3	1227	0-03-57
			1228/2	0-01-61
			1234/2	0-00-08
				0-05-26

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw from the land acquisition proceedings given in the specification below which was being acquired *vide* this department notification of even number dated 28th September, 1989 and 24th February, 1990 issued under section 4, 17 (4) 6, 7 and 17(1) of the Act *ibid* for the Cabinet Secretariat, A. R.C. Unit Government of India for a public purpose in Village Moti-Tibba, Tehsil Bhatiyat, Mauza Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

Specification

District	Tehsil	Village/H.No.	Khasra No.	Area in Hectares
1	2	3	4	5
Chamba	Bhatiyat	Moti-Tibba H.B. No. 346/3	1227	0-03-57
			1228/2	0-01-61
			1234/2	0-00-08
				0-05-26

By order,
Sd/-
Financial Commissioner (Home).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 दिसम्बर, 1990

क्रमांक पी बी डब्ल्यू (बी एण्ड आर) (बी) 28(26)/85.—तारीख 11-10-86 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 10-9-86 द्वारा हिमाचल प्रदेश टाउन

एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1977 (1977 का 12) की धारा 13 की उप-धारा (1)क अधीन सूईनशा बजौरा योजना क्षेत्र और अलेओं-बाम्बो नाला योजना क्षेत्र गठित किया गया था;

राज्य सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र का विलयन करने का विनिश्चय किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टाउन ऐण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1977 (1977 का 12) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूईनशा-बजोरा योजना क्षेत्र और अलेओं-बाम्बो योजना क्षेत्र का विलयन करते हैं, और उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ब्यास नदी की दोनों ओर "उझी घाटी योजना क्षेत्र" के नाम से उसका गठन करते हैं और निम्न प्रकार से इसकी परिसीमाओं का सीमांकन करत है :—

उझी घाटी योजना क्षेत्र

उत्तर:—नदी ब्यास के साथ-2 बांये किनारे पर अलेओ नाला द्वारा उसकी दाईं ओर सूईसा नाला द्वारा परिबद्ध अर्थात् मनाली योजना क्षेत्र की दक्षिणी परिसीमा द्वारा परिबद्ध ।

दक्षिण :—पुलिस लाईन कुल्लू (वार्शिग) से ब्यास नदी दायें किनारे तक और बायें किनारे पर हवाई नाला को मिलाते हुए क्षेत्र द्वारा परिबद्ध अर्थात् कुल्लू योजना क्षेत्र की उत्तरी परिसीमा द्वारा परिबद्ध ।

पूर्व :—अलेओं नाला से हवाई नाला तक पहाड़ी की ओर मनाली-कुल्लू सड़क के बाएं किनारे से 300 मीटर तक ।

पश्चिम :—सुईशां नाला से पुलिस लाईन कुल्लू (वार्शिग) तक पहाड़ी की ओर एन एच के किनारे से 300 मीटर तक ।

आदेश द्वारा,
अशोक महापात्र,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authenticated English Text of this Deptt. notification No.PBW (B&R) (B) 28(26)/85, dated 20th December, 1990 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th December, 1990

No.PBW (B&R) (B) 28(26)/85.—Whereas Suinsh-Bajaura Planning Area and Aleo-Bambi Nallah Planning Area were constituted under Section 13 (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* this department notification of even Nos. dated 10-9-86 published in the extra-ordinary Rajpatra, Himachal Pradesh dated 11-10-86;

And whereas the State Government has decided to amalgamate the aforesaid Planning Areas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (D) of sub-section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act. No.12 of 1977) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amalgamate the Suinsh-Bajaura Planning Area

and Aleo-Bambi Planning Area into one and constitute the Planning Area known as "Ujhi Valley Planning Area" on the both side of river Beas for the purpose of the Act *ibid* and define its limits as under :—

UJHI VALLEY PLANNING AREA

North :—Bounded by Aleo Nallah on left bank joining river Beas and on rigt side bounded by Suinsha Nallah *i.e.* bounded by southern limits of Manali Planning Area.

South :——Area bounded by Police lines Kullu (Vashing) upto river Beas on right bank and joining Hawai Nallah on left bank *i.e.* bounded by Northern limits of Kullu Planning Area.

East :——300 metres from edge of Manali-Kullu left bank road on hill side from Aleo Nallah to Hawai Nallah.

West :—300 metres from the edge of NH-21 towards hill side from Suinsa Nallah upto Police Lines Kullu (Vashing).

By order,

A. K. MOHAPATRA,
Commissioner-cum-Secretary.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला 2, 8 जनवरी, 1991

संख्या 6-58/81-परि.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड के अधीन प्रस्तावित निदेशों का प्रारूप ऐसे सभी व्यक्तियों के आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिये जिनक इन निर्देशों से प्रभावित होने की सम्भावना थी, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 5-5-1990 द्वारा तारीख 23-6-1990 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था और प्रस्तावित निदेशों पर कोई सुझाव/आक्षेप प्राप्त नहीं हुये । अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 31-1-1987 का भागतः उपान्तरण करते हुये और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश में टैक्सी/कार की भाड़ा दरों को नियत करने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण को निम्नलिखित निदेश देते हैं :—

निर्देश

हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में टैक्सी/कैब के लिये यात्रा भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत की जाती हैं :—

क्रम संख्या	टैक्सी का प्रकार	प्रति कि0 मी0 गैर ज0 जा0 क्षेत्रों के लिए	प्रस्तावित दर ज0 जा0 क्षेत्रों के लिये	प्रस्तावित रात्रि प्रभार
1	2	3	4	5
1.	साधारण टैक्सी/अम्बैसडर/जीप/फियेट/जिप्सी	3.10	3.75	75
2.	साधारण मारूती कार/वैन/प्रिमिया पदमिनी	2.80	3.35	75
3.	स्वदेशी डीलक्स/वातानुकूल (कोई भारतीय कार) कैन्टेसा और एन0 ई0-118.	4.50	5.50	75
4.	आयात डीलक्स/वातानुकूल टैक्सियां	5.50	6.50	75

(2) प्रतिदिन 100 किलोमीटर की अधिकतम यात्रा के अधीन रहते हुये पैट्रोल खर्च सहित दैनिक आधार पर टैक्सियों की दरें :—

क्रम संख्या	टैक्सी का प्रकार	100 किलोमीटर गैर ज0 जा0 क्षेत्रों के लिये	ज0 जा0 क्षेत्रों के लिये	गैर ज0 जा0 क्षेत्रों के लिये	प्रत्येक पश्चातवर्ती जन जातीय क्षेत्रों के लिये
1	2	3	4	5	6
1.	साधारण टैक्सी/अम्बैसडर/जीप/फियेट/जिप्सी	310	375	3.10	3.75
2.	साधारण मारूती/वैन/प्रिमिया/पर्दामनी	280	335	2.80	3.35
3.	स्वदेशी डीलक्स/वातानुकूल (कोई भारतीय कार) कन्टेसा और एन0 ई0 118.	450	550	4.30	5.50
4.	आयात डीलक्स/वातानुकूल टैक्सियां	550	650	5.50	6.50

टिप्पणी :

एक तरफ यात्रा के लिये वापसी यात्रा का भाड़ा 50% से अधिक नहीं होगा, सिवाय शिमला-कालका मार्ग के जहां दोनों तरफ यात्री/पर्यटक उपलब्ध हैं ।

(3) 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिये पैट्रोल खर्च सहित घण्टे के आधार पर टैक्सियों की दरें:—

क्रम सं0	टैक्सी का प्रकार	दर	सरोंध प्रभार
1.	साधरण टैक्सी/जीप/फियेट/जिप्सी	80	प्रथम घण्टे के लिये 15/- और प्रत्येक पश्चातवर्ती घण्टे के लिये 30/- ।
2.	साधारण मारूती कार/वैन/प्रिमिया/पर्दामनी	70	-यथोपरि-
3.	देसी डीलक्स/वातानुकूल (कोई भारतीय कार) कैन्टेसा और एन0 ई0-118.	150	प्रथम घण्टे के लिये 20/- और प्रत्येक पश्चातवर्ती घण्टे के लिये 40/- ।
4.	आयातित डीलक्स/वातानुकूल टैक्सियां	200	-यथोपरि-

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.* 6-58/81-*Tpt., dated* 8-1-1991 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th January, 1991

No. 6-58/81-Tpt.—Whereas a draft of proposed directions under sub-section (1) of section 67 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) inviting objections/suggestions from all

persons likely to be effected by such direction was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated the 23rd June, 1990 *vide* notification of even number dated 5-5-1990;

And whereas no suggestions/objections were received on the proposed directions.

Now, therefore, in partial modification of this Department notification of even number, dated 31-1-1987 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to issue to the State Transport Authority of Himachal Pradesh, the following directions to fix the fare rates of taxis/cars in Himachal Pradesh.

DIRECTIONS

The State Transport Authority shall ensure that the following rates of fares are fixed for taxis/cars in the State of Himachal Pradesh:—

I. Rates of taxis per kilometere including petrol charges etc:—

Sl. No.	Type of taxi	Proposed rate per km.		Proposed night charges
		For non-tribal areas	For tribal areas	
1.	Ordinary Taxi/Ambassador/Jeep/Fiat/Gypsy	3.10	3.75	75
2.	Ordinary Maruti Car/Van/Pr. Padmini ..	2.80	3.35	75
3.	Indigenous Delux/Air conditioned (any Indian Car) Contensa and N.E. 118 ..	4.50	5.50	75
4.	Imported Delux/Air conditioned Taxis ..	5.50	6.50	75

II. Rates of Taxis on daily basis including petrol charges subject to maximum of 100 km. per day.

Sl.No.	Type of taxi	For 100 kms.		For each subsequent km.	
		For non-tribal areas	For tribal areas	For non-tribal area	For tribal areas
1.	Ordinary Taxi/Ambassador/Jeep/Fiat/Jypsy	310	375	3.10	3.75
2.	Ordinary Maruti Car/Van/Pr. Padmini ..	280	335	2.80	3.35
3.	Indigenous Delux/Air conditioned (any Incian Car) Contensa and N.E.-118 ..	450	550	4.50	5.50
4.	Imported Delux/Air conditioned Taxis ..	550	650	5.50	6.50

Note.—Return empty charges shall not exceed 50% of the fare charged for one side journey excepting Shimla/Kalka route where both side passengers/tourists are available.

III. Rates of taxis on hourly basis including patrol charges for journey not exceeding 20 km.

Sl. No.	Type of taxis	Rates	Detention charges
1.	Ordinary Taxis/Jeep/Fiat/Jypsy ..	80	Rs. 15/- for first hour and Rs. 30/- for each subsequent hour.
2.	Ordinary Maruti Car/Van/Pr. Padmini	70	-do-
3.	Indigenous Delux/Air conditioned (any Indian Car) Contensa and N.E.-118.	150	Rs. 20/- for first hour and Rs. 40/- for each subsequent hour.
4.	Imported Delux/Air conditioned taxis	200	-do-

By order,
HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-*Secretary* (*Tpt.*).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0(1) 33/87-II.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 75 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि अढ़ाई वर्ष विहित की गई है;

और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन जिला लाहौल-स्पिति की पंचायत समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दूसरा चुनाव उक्त अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से अढ़ाई वर्ष की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर गुप्त मतदान द्वारा किया जाना था;

और ग्राम पंचायतों के सामान्य चुनाव अक्तूबर, 1985 में हुए थे और ग्राम पंचायतों की अवधि अक्तूबर, 1990 में समाप्त हो जानी थी और जिसे इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच.ए.(4) 42/76-VII, तारीख 5 अक्तूबर, 1990 द्वारा पुनः 31-3-91 तक बढ़ा दिया गया ;

और जिला लाहौल-स्पिति की पंचायत समिति लाहौल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव उक्त अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन तारीख 6-8-88 को अधिसूचित किए गए थे;

और उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) के तृतीय परन्तुक के अनुसरण में जिला लाहौल-स्पिति की पंचायत समिति लाहौल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने-अपने पद पर बने हुए हैं क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव नहीं हुआ है न ही अधिसूचित किया गया है;

और अढ़ाई वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंचायत समितियों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों का चुनाव न करवाया जाना लोकहित में समीचीन है;

और राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि जिला लाहौल-स्पिति की पंचायत समिति लाहौल के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि लोकहित में बढ़ाई जाए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का 7) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा यथा अन्तःस्थापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 75 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला लाहौल-स्पिति की पंचायत समिति लाहौल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अढ़ाई वर्ष की पदावधि को, उनकी पदावधि के अवसान की तारिख से सात मास के लिए और बढ़ाते हैं ।

[*Authoritative English text of this Government Notification No. PCH-HA*(1)33/87-II, *dated 4th February,* 1991 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of Constitution of India*].

Shimla-2, the 4th February, 1991

No. PCH-HA(1)33/87-II.—Whereas, the term of the office of the Chairman and Vice-Chairman of the Panchayat Samitis in Himachal Pradesh is prescribed two and a half years under sub-section (1) of section 75 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970);

And whereas under the provisions of sub-section (3) of section 74 of the Act *ibid* second election of the Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samitis of Lahaul-Spiti district was to be held by secret ballot within a period of one month of the expiry of the period of two and a half years of the date on which the election was notified under sub-section (1) section 68 of the said Act;

And whereas general election of the Gram Panchayats was held in the month of October, 1985 and the tenure of the Gram Panchayats was to expire in October, 1990 which was further extended upto 31-3-1991 *vide* Notification No. PCH-HA(4)42/76-VII, dated 5th October, 1990;

And whereas the election of the Chairman and Vice-Chairman of the Panchayat Samiti Lahaul of Lahaul and Spiti district were got notified on the 6th August, 1988 under the provisions of sub-section (1) of section 68 of the Act *ibid;*

And whereas in pursuance of the third proviso of sub-section (1) of section 75 of the Act *ibid*, the Chairman and Vice-Chairman of District Lahaul-Spiti are continuing to hold their office as the election of their successors has not been held/notified so far;

And whereas it appears expedient in the public interest not to hold the election of the Chairman/Vice-Chairman of the Panchayat Samitis after the expiry of two and a half years;

And whereas it appears to the State Government that the tenure of the present Chairman and Vice-Chairman of the Panchayat Samiti Lahaul of Lahaul-Spiti district be extended in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by the first proviso of sub-section (1) of section 75 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970) as inserted by clause *(a) of section* 3 *of the Himachal Pradesh Panchayati Raj* (*Amendment*) *Act,* 1990 (*Act No.* 7 *of* 1991), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the tenure of two and a half years of the present Chairman and Vice-Chairman of the Panchayat Samiti of Lahaul of District Lahaul-Spiti by seven months from the date of expiry of their tenure.

शिमला-2, 13 मार्च, 1991

संख्या पी0सी0एच-एच0 ए0(4) 42/76-7.—राज्य सरकार ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) में किए जाने वाले संशोधन के बारे में सुझाव देने तथा सिफारिश करने के बारे में, सरकार की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(1) 85/90, तारीख 12-12-1990 द्वारा उच्च शक्तिय समिति का गठन किया है;

और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनिमय, 1968 में प्रस्तावित संशोधनों से पंचायती राज संस्थानों के गठन और उनकी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की सम्भावना है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में समीचीन होगा कि राज्य में ग्राम पंचायतों के ग्राम चुनाव स्थगित किए जाएं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 5 अक्तूबर, 1990 का प्रसंग जारी रखते हुए और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 1970 का 19) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचों की पदावधि को यथास्थिति 6 मास की कालावधि अर्थात् 31-3-1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक या ऐसी कालावधि तक जब तक कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो जाते हैं, जो भी पहले हो, और बढ़ाते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त (विकास) एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA* (4) 42/76-7, *dated* 13*th March*, 1991 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, *the* 13*th March*, 1991

No. PCH-HA(4)42/76-7.—Whereas the State Government has constituted a High Powered Committee *vide* this Government Notification No. PCH-HA(1) 85/90, dated 12-12-1990 to suggest/recommend the amendments to be carried out in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970), in order to strengthen the Panchayati Raj institutions in the Pradesh;

And whereas the proposed amendments in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 is likely to affect the constitution and election procedure of the Panhayati Raj institutions;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be expedient in the public interest that the general elections of the Gram Panchayats in the State be postponed;

Now, therefore, in continuation of this Department Notification of even number, dated the 5th October, 1990, and in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (2) of section 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (No. 19 of 1970), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to further extend the term of office of the Pradhans, Up-Pradhans and Panches of the Gram Panchayats in Himachal Pradesh for a period of six months with effect from 31-3-1991 to 30th September, 1991 or till elections of the Gram Panchayats are held, whichever is earlier, as the case may be.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner (Development) and Secretary.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 1991

संख्या एल0 एस0 जी0 (9) 6/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल, प्रदेश म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह कर की दर 10 प्रतिशत से 12-1/2 प्रतिशत और सफाई कर की दर 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ाने के नगरपालिका डलहौजी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हैं ;

2. और, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल ऐक्ट, 1968 की धारा 61 की उप-धारा (9) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1-4-1991 तारीख को ऐसी तारीख अधिसूचित करते हैं, जिससे उक्त दरें लागू होंगी।

आदेश द्वारा,
ए0 के0 महापात्र,
सचिव।

[*Authoritative English test of this Department Notification No. LSG-C*(9)-6/88, *dated* 11*th January*, 1991 *as required uhder clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 11*th January*, 1991

No. LSG-C(9)-6/88.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (8) of section 61 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to sanction the proposal of Municipal Committee, Dalhousie to enhance the rate of house tax from 10% to 12-1/2% and scavenging tax from 6% to 12%.

2. Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (9)(*b*) of section 61 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify 1-4-1991 as the date from which the above rates shall come into force.

By order,

A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मद्रित तथा प्रकाशित ।